न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	कैलाश चन्द वगैरा बनाम जानकी देवी वगैरा हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज [illegible] मु.नं. – 69/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	05-02-2022 से पूर्व तलब होकर पेश हुई। वकील वादी ने प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के क्रमांक 4298/भू.अ./2021 दिनांक 16-12-2021 की मूल प्रति पेश की। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते शीघ्र सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 13-01-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
13-1-2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24-1-22 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	
24.01.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील वा[illegible]गण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा [illegible] भाग बनाया जाता है तथा इसी अनु[illegible] फैसल शुमार होकर वाद तक[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.02.09 10:53:55 IST Reason: SelfAttested 24/01/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
69/2021	2021 / 165	14.06.2021	24.01.2022 (अन्तिम डिक्री)

उनवान

1. कैलाश चन्द्र पुत्र रामभजन
2. प्रहलादसिंह पुत्र रामभजन
3. भगवानसिंह पुत्र रामभजन
4. राजेश कुमार पुत्र रामभजन
5. निर्मल कुमार पुत्र मदनलाल
6. राकेश कुमार पुत्र मदनलाल
7. रूकमा देवी पत्नि स्व0 मदनलाल
8. रामनिवास पुत्र ग्यारसीलाल
9. रामरतन पुत्र पुत्र ग्यारसीलाल
10. सुरेश कुमार पुत्र ग्यारसीलाल
11. मोहरी देवी पत्नि ग्यारसीलाल
12. गणेशी पुत्री प्रभातीलाल
13. जितेन्द्र पुत्र प्रभातीलाल
14. बंशीधर पुत्र प्रभातीलाल
15. रतनलाल पुत्र प्रभातीलाल
16. सुभाष पुत्र प्रभातीलाल
17. तींजा देवी पत्नि प्रभातीलाल

समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नं. 3 श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. पार्वती देवी पत्नि प्रतापसिंह जाति जाट निवासी ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:55 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–

श्री दिलीप कुमार मंगावा, वादीगण अभिभाषक
श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय, प्रतिवादी नं. 1 अभिभाषक

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 1011 से 1017, 1019, 1020 कुल किता 9 कुल रकबा 3.64 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रतिवादिया सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी गलत रूप से दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1011 से 1017, 1018, 1019, 1020 कुल किता 10 कुल रकबा 4.66 हैक्टर अवस्थित ग्राम श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रतिवादी नम्बर 1 के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार चली आ रही थी एंव मौके पर प्रतिवादिया संख्या 1 अपनी हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि पर बाहमी बंटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 1018 रकबा 1.0200 हैक्टर व खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.15 हैक्टर पर काबिज काश्त चली आ रही थी एंव उसके कब्जे काश्त में ही थी। जिसमें से खसरा नम्बर 1020 पर प्रतिवादिया संख्या 1 काबिज काश्त चली आ रही है एंव खसरा नम्बर 1018 रकबा 1. 0200 हैक्टर की खातेदारी अलग से दर्ज करवाकर उक्त भूमि का भू–रूपान्तरण संपरिवर्तन करवाकर इसकी खातेदारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज करवाई जा चुकी है। शेष खसरा नम्बर 1011 से 1017, 1019 कुल किता 08 कुल रकबा 3. 4900 हैक्टर पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त भूमियों में प्रतिवादिया नं. 1 का नाम दर्ज 1/4 हिस्सा की खातेदारी से हजफ किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी हक हिस्सा में हिस्सानुसार आनुपातिक वृद्धि करते हुए राजस्व रिकार्ड खातेदारी जमाबंदी में वादीगण के नाम हिस्सानुसार वादी संख्या 1 हिस्सा 1/12, वादी संख्या 2 हिस्सा 1/12, वादी संख्या 3 हिस्सा 1/12, वादी संख्या 4 हिस्सा 1/12, वादी संख्या 5 हिस्सा 1/45, वादी संख्या 6 हिस्सा 1/45, वादी संख्या 7 हिस्सा 1/45, वादी संख्या 8 हिस्सा 1/15, वादी संख्या 9 हिस्सा 1/15, वादी संख्या 10 हिस्सा 1/15, वादी संख्या 11 हिस्सा 1/15, वादी संख्या 12 हिस्सा 1/18, वादी संख्या 13 हिस्सा 1/18, वादी संख्या 14 हिस्सा 1/18, वादी संख्या 15 हिस्सा 1/18, वादी संख्या 16 हिस्सा [illegible] वादी संख्या 17 हिस्सा 1/18 के नाम दर्ज की जाकर खसरा नम्बर 1020 रकबा [illegible] हैक्टर की खातेदारी से वादीगण का नाम हजफ किये जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादिया नं. 1 के नाम दर्ज किये जाने का वाद वास्ते ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड व तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

09/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी द्वितीय एड0 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी सं. 2 का सम्मन नोटिस तामिल हो जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने वादपत्र वास्ते बंटवारा करने व वकील प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान कर दिये जाने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जरिये पत्रांक 1269/रीडर/2021 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में भरकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 4298/भू.अ./2021 दिनांक 16.12..2021 को न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादीगण अभिभाषक ने प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रतिवादी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से एंव प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियाँ वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनका अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ। वादीगण ने उक्त भूमियों का विधिक विभाजन चाहा गया है। जिस बाबत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:53:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

11/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है।

अतः ऐसी स्थिति में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने बाबत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2021/4298 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 के नाम पृथक–पृथक दर्ज किये जाने एंव लगान फाटनी किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
24/01/22

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.09 10:33:55 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
24/01/22